بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰی عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد
لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ
دفتر مجلس انصار اللہ بھارت
Office Of The Majlis Ansarullah Bharat
Mohallah Ahmadiyya Qadian-143516, Distt.Gurdaspur (Punjab) INDIA

सारांश ख़ुत्बः जुम्अः सय्यदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत मिर्ज़ा मसरूर अहमद ख़लीफ़तुल मसीह अल-ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़, बयान फ़र्मूदा 30 अगस्त 2024 स्थान मस्जिद मुबारक, इस्लामाबाद, यू.के.

सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इफ़क की घटना का बयान।

Mob: 9682536974 E.mail. ansarullah@qadian.in Khulasa khutba-30.08.24
محلہ احمدیہ قادیان-پنجاب-143516

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطٰن الرجیم ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۔ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۔

तशह्हुद तअव्वुज़ तथा सूरः फ़ातिहः की तिलावत के बाद हुज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने फ़रमाया- जलसा जर्मनी से पहले के ख़ुत्बों में सीरत आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से वर्णन हो रहा था जिसमें हज़रत आयशा रज़ीयल्लाहु अन्हा की इफ़क नामक घटना का भी वर्णन था। इस बारे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते ह कि ख़ुदा तआला ने अपने नैतिक आचरण में दाख़िल कर रखा है कि वह चेतावनी की भविष्य वाणी को तौबा एवं इस्तिग़फ़ार तथा दुआ और सदक़े से टाल देता है। इसी तरह इंसान को भी उसने यही नैतिक आचरण सिखाए हैं, जैसा कि क़ुर्आन व हदीस से साबित है कि हज़रत आयशा रज़ी. के विषय में मुनाफ़िक़ों ने केवल द्वेष के कारण जो मनघड़त आरोप लगाया था, उसके वर्णन में कुछ सरल स्वभाव के सहाबी भी शामिल हो गए थे। एक सहाबी ऐसे थे जो हज़रत अबू बकर ﷺ के घर से दिन में दो समय भोजन किया करते थे। हज़रत अबू बकर ﷺ ने उनकी इस ग़लती पर क़सम खाई तथा चेतावनी के रूप में संकल्प कर लिया कि मैं इस अनुचित कृत को दंडित करने के लिए इसको कभी रोटी न दूँगा। इस पर यह आयत नाज़िल हुई थी- وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا ۔ أَلَا تُحِبُّوْنَ أَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ۔ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ तब हज़रत अबू बकर ﷺने अपने उस संकल्प को तोड़ दिया तथा पूर्व की भांति रोटी लगा दी।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि इसी कारण से इस्लामी आचरण में दाख़िल है कि यदि चेतावनी के रूप में कोई संकल्प लिया जाए तो उसका तोड़ना सुन्दर आचरण में दाख़िल है। उदाहरणतः

यदि कोई अपने सेवक के बारे में क़सम खाए कि मैं उसको अवश्य पचास जूते मारूँगा तो उसकी तौबा तथा रोने धोने पर क्षमा करना इस्लाम की शिक्षा है ताकि خلقوا باخلاق الله हो जाए, परन्तु वादे के ख़िलाफ़ करना जायज़ नहीं, वादा तोड़ने पर पूछ ताछ होगी, परन्तु चेतावनी को छोड़ देने पर नहीं।

हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहब रज़ी. सीरत ख़ातमुन्नबिय्यीन स. में इफ़क की इस घटना का बुख़ारी के कथनों के प्रकाश में बयान करते हुए लिखते हैं कि इस मामले में यह रिवायत अन्य सभी रिवायतों से अधिक सुदृढ़ एवं विस्तृत है। इस रिवायत से आँहज़रत ﷺ के पारिवारिक जीवन पर एक ऐसी ईमान वर्धक रोशनी पड़ती है जिसे कोई इतिहासकार अनदेखा नहीं कर सकता तथा प्रमाणिकता की दृष्टि से भी यह रिवायत उच्चतम स्तर पर स्थित है जिसमें सन्देह करने का कोई कारण नहीं समझा जा सकता। अब विचार करने का विषय है कि कितना भयावह उपद्रव था जो मुनाफ़िक़ों की ओर से खड़ा किया गया था।

इसका केवल एक पवित्र तथा अत्यंत मुत्तक़ी एवं दिव्य महिला की लाज पर हमला करना उद्देश्य नहीं था, अपितु इसके द्वारा बड़ा उद्देश्य इस्लाम के पवित्र संस्थापक ﷺ के मान सम्मान को नष्ट करना तथा इस्लाम के समाज पर एक भयानक भूचाल लाना था तथा मुनाफ़िक़ों ने इस गन्दे तथा कमीने षड्यन्त्र को इस प्रकार चर्चित किया था कि कुछ सरल स्वभाव के लोग, किन्तु सच्चे मुसलमान भी उनके इस प्रचार में उलझ कर ठोकर खा गए। उन लोगों में हस्सान बिन साबित रज़ी., हमना सुपुत्री हजश तथा मुस्तह बिन असासा का नाम विशेष रूप से वर्णित हुआ है। परन्तु हज़रत आयशा रज़ी. के नैतिक आचरण का यह स्तर है कि उन्होंने उन सबको क्षमा कर दिया तथा उनकी ओर से अपने मन में कोई द्वेष नहीं रहने दिया।

हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ी. ने इस आरोप के लगाने वालों की घारणा का वर्णन करते हुए फ़रमाया कि कि हमें मूल उद्देश्य को देखना चाहिए। इसका कारण यह नहीं हो सकता कि उन लोगों को हज़रत आयशा रज़ी. से कोई दुश्मनी थी। इस आरोप के विषय में दो ही बातें हो सकती हैं कि या तो यह आरोप सत्य हो, जिसको कोई मोमिन नहीं मान सकता, विशेषतः इस अवस्था में कि अल्लाह तआला ने अपनी आर से इस गन्दे विचार को रद्द किया है, दूसरी अवस्था यह हो सकती है कि यह आरोप आँहज़रत ﷺ और हज़रत अबू बकर رضی اللہ عنہ को चोट देने के लिए लगाया गया हो, क्यूँकि एक की वे पतनी थीं तथा एक की बेटी। ये दोनो अस्तित्व ऐसे थे कि उनकी बदनामी सियासत की दृष्टि से तथा शत्रुता की दृष्टि से कुछ लोग के लिए लाभप्रद हो सकती थी। रसूले करीम ﷺ को जो स्तर प्राप्त था, वह तो आरोप लगाने वाले किसी तरह छीन नहीं सकते थे। उन्हें यह भय था कि रसूले करीम ﷺ के बाद भी वे अपने तुच्छ उद्देश्य को पूरा करने से वंचित न रह जाएँ। वे देख रहे थे कि आप स. के बाद ख़लीफ़ः होने का यदि कोई व्यक्ति पात्र हो सकता है तो वे अबू बकर رضی اللہ عنہ ही हैं। अतः इस आशंका को अनुभव करते हुए उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी. पर आराप लगा दिया ताकि हज़रत आयशा रज़ी. रसूले करीम ﷺ की दृष्टि में गिर जाएँ तथा इस कारण से हज़रत अबू बकर رضی اللہ عنہ को मुसलमानों में जो स्तर मिला हुआ है, वह भी जाता रहे और रसूले करीम ﷺ के बाद आप रज़ी. के ख़लीफ़ः होने का द्वार पूर्णतः बन्द हो जाए।

इतिहास साक्षी है कि मदीने मे अरबों के दो क़बीलों औस तथा ख़िज़रज ने आपस में लड़ाई तथा हत्या एवं रक्त-पात को छोड़ कर सन्धि कर ली और अब्दुल्लाह बिन उबी सलूल का मदीने का बादशाह बना दिया। मदीने के कुछ लोगों ने मक्का से वापस आकर बताया कि अन्तिम युग का नबी मक्का में प्रकट हो गया है तथा हम उसकी बैअत कर आए हैं। कुछ अन्य लोगों के निवेदन पर आँहज़रत ﷺ ने एक सहाबी रज़ी. को मुबल्लिग़ बना कर मदीना भेजा तो मदीने के बहुत से लोग इस्लाम में दाख़िल हो गए। अब्दुल्लाह बिन अबी सलूल ने जब देखा कि उसका राज समाप्त हो गया तथा उसने सोचा कि आँहज़रत ﷺ के बाद मुसलमानों की नज़र हज़रत अबू बकर की ओर उठती है, तो उसने अपनी भलाई इसी में देखी कि उनको बदनाम कर दिया जाए तथा लोगों और रसूले करीम ﷺ की नज़र से भी आपको गिरा दिया जाए। इस प्रकार कुधारणा को पूरा करने का अवसर उसे हज़रत आयशा रज़ी. के युद्ध में पीछे रह जाने की घटना से मिल गया तथा उस पिशाच ने आप रज़ी. पर एक अत्यंत गन्दा आरोप लगा दिया।

हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ी. इफ़क नामक घटना का हज़रत अबू बकर رضی اللہ عنہ की ख़िलाफ़त के साथ सम्बंध बयान करते हुए लिखते हैं कि सूरः नूर के शुरु से लेकर उसके अन्त तक एक ही विषय बयान किया गया है। पहले हज़रत आयशा रज़ी. पर लगने वाले आरोप का वर्णन किया गया और फिर अल्लाह तआला ने इस आरोप के तुरन्त बाद ख़िलाफ़त का वर्णन किया और फ़रमाया कि ख़िलाफ़त बादशाहत नहीं, वह तो अल्लाह के नूर का स्थापित रखने का एक साधन है इस लिए उसकी स्थापना अल्लाह तआला ने अपने हाथ में रखी है। अतएव वह अवश्य इस नूर को स्थापित करेगा, तथा जिसे चाहेगा ख़लीफ़ः बनाएगा, बल्कि वादा करता है कि मुसलमानों में से एक नहीं बल्कि असंख्य लोगों को ख़िलाफ़त के पद पर सुशोभित करके इस नूर के ज़माने को लम्बा कर देगा। तुम यदि आरोप लगाना चाहते हो तो निःसन्देह लगाओ, न तुम ख़िलाफ़त को मिटा सकते हो, न अबू बकर रज़ी. को ख़िलाफ़त से वंचित कर सकते हो, क्यूँकि ख़िलाफ़त एक नूर है, जो अल्लाह का नूर प्रकट होने का एक माध्यम है, उसको इंसान अपनी युक्तियों से कहाँ मिटा सकता है।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं कि अम्बिया अलैहिस्सलाम की भी यही स्थिति होती है। जब ख़ुदा तआला किसी अमल की सूचना देता है तो वे उससे हट जाते हैं अथवा धारण करते हैं। देखो! आयशा रज़ी. की इफ़क वाली घटना में रसूलुल्लाह ﷺ को कुछ ख़बर नहीं, यहाँ तक स्थिति हो गई कि हज़रत आयशा रज़ी. अपने वालिद के घर चली गईं और आँहज़रत ﷺ ने यह भी कहा कि यदि आपने यह किया है तो तौबा कर लें। इन घटनाओं को देख कर आप स. कितना अधिक व्याकुल थे, परन्त् यह भेद एक समय तक आप स. पर न खुला। किन्तु जब ख़ुदा तआला ने अपनी वह्यी के माध्यम से इस घटना मं उनको बरी किया तथा फ़रमाया कि- اَلْخَبِيْثَاتُ لِلْخَبِيْثِيْنَ وَالْخَبِيْثُوْنَ لِلْخَبِيْثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِيْنَ وَالطَّيِّبُوْنَ لِلطَّيِّبَاتِ। तो आप स. को इस इफ़क की वास्तविकता का पता चला, इससे क्या आँहज़रत ﷺ की शान में कोई अन्तर आता है? कदाचित नहीं। वह व्यक्ति ज़ालिम तथा ख़ुदा से निडर है जो इस प्रकार का भ्रम भी करे तथा यह इंकार की सीमा तक पहुंचता है। आँहज़रत ﷺ तथा अन्य नबी अलैहिस्सलाम ने कभी दावा नहीं किया कि वे प्रोक्ष का ज्ञान रखते हैं, प्रोक्ष का सम्पूर्ण ज्ञानी होना ख़ुदा की शान है।

हज़रत आयशा रज़ी. पर आरोप लगाने वालों की रिवायतों की संख्या विभिन्न बयान हुई है। कुछ रिवायतों में तीन, दस, पन्द्रह तथा चालीस भी बयान हुई है। इन आरोप लगाने वालों के दंड के विषय में भी मतभेद है। सुनन अबू दाऊद में रिवायत है कि आप स. ने दो पुरुषों तथा एक महिला के विषय में क़ज़फ़ (झूठे आरोप लगाने वालों को दंड) का आदेश दिया और उनमें हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी. तथा मुस्तह बिन असासा रज़ी. थे। नफ़ीली कहते हैं कि वह महिला हमना सुपुत्री हजश थी। एक कथन यह भी है कि नबी करीम ﷺ ने उनमें से किसी को भी दंडित नहीं किया तथा दूसरा कथन यह है कि आप स. ने अब्दुल्लाह बिन उबी, मुस्तह बिन असासा, हस्सान बिन साबित रज़ी. तथा हमना सुपुत्री हजश को दंडित किया। हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ी. सूरः नूर की आयत न. 36 की व्याख्या में लिखते हैं कि इन आरोप लगाने वाला में जैसे जैसे किसी ने सहयोग दिया, वैसा ही अज़ाब उसे मिल जाएगा। इस फ़ितने के संस्थापक अब्दुल्लाह बिन उबी को चेतावनी के रूप में कोड़े लगाने का दंड भी दिया गया तथा उसे अल्लाह तआला की ओर से भी दंड मिल गया और वह रसूले करीम ﷺ के जीवन काल में ही ऐड़िया रगड़ रगड़ कर नष्ट हुआ।

तत्पश्चात हुज़ूरे अनवर ने जलसा सालाना जर्मनी के हवाले से फ़रमाया कि शामिल होने वालों में जो ग़ैर शामिल हुए थे अथवा जो लोग पहली बार आए थे, उन्होंने अति सकारात्मक भावनाएँ अभिव्यक्त कीं तथा बड़ी प्रसन्नता प्रकट की है। मीडिया तथा ख़बरों के माध्यम से कई मिल्यन लोगों तक अहमदियत तथा इस्लाम का सन्देश पहुंचा है। अल्लाह तआला इसके नेक तथा दूरगामी परिणाम पैदा फ़रमाए तथा अहमदियों को भी वास्तविक रंग में सदैव लाभान्वित रहने का सामर्थ्य प्रदान करे। दुआओं की ओर ध्यान दें, अल्लाह तआला अपने फ़ज़्लों तथा रहमतों की चादर में हमें सदैव लपेटे रखे।

(युद्ध के कारण) अहमदी भी अपनी जान बचाने के लिए तथा शांति के लिए सूडान के विभिन्न क्षेत्रों में बिखर गए तथा इस समय भी विभिन्न स्थानों पर ये लोग बड़ी तंगी एवं दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अल्लाह तआला अहमदियों के ईमानों को मज़बूत रखे। फ़रमाया- अल्लाह तआला उनके हालात भी बदले। देश में बड़ा फ़साद फैला हुआ है, अल्लाह तआला इस फ़साद को भी समाप्त करे और अल्लाह तआला रहम फ़रमाए। ये लोग एक दूसरे का हक़ अदा करने वाले हों। मुसलमान, मुसलमान का भाई होने का हक़ अदा करने वाले हों और इस्लामी सरकारों में जो फ़साद हैं, अल्लाह तआला उस दूर फ़रमाए और अहमदियों को वास्तविक रंग में अमन व शांति का जीवन व्यतीत करने का सामर्थ्य प्रदान करे।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ
وَرَسُوْلُهٗ. عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ.

हिन्दी अनुवाद को अधिक सुन्दर बनाने हेतु सुझाव का स्वागत है, संपर्क अनुवादक-9781831652

टोल फ्री नम्बर अहमदिय्या मुस्लिम जमाअत, क़ादियान, पंजाब-18001032131